अध्याय 4

सामान्य

4.1 प्रस्तावना

इस प्रतिवेदन के भाग–दो में दो अध्याय क्रमशः अध्याय–चार सामान्य और अध्याय–पांच राजस्व क्षेत्र की अनुपालन लेखापरीक्षा हैं। अध्याय–चार छत्तीसगढ़ शासन की वर्ष 2021–22 के दौरान राजस्व प्राप्तियों का विहंगावलोकन, वर्ष 2017–18 से 2021–22 की पाँच वर्ष की अवधि में प्राप्तियों के प्रवृत्ति का विश्लेशण एवं बकाया करों, जो 31 मार्च 2022 की स्थिति में वसूली हेतु लंबित हैं, का विवरण प्रस्तुत करता है। आगे, राज्य के राजस्व प्राप्तियों की जाँच हेतु लेखापरीक्षा दृष्टिकोण को रेखांकित एवं लेखापरीक्षा निष्कर्ष पर राज्य शासन की प्रतिक्रिया पर भी चर्चा की गई है।

अध्याय–पांच में ''वस्तु एवं सेवा कर का भुगतान और रिटर्न फाइल करने पर विभागों की निगरानी'' की अनुपालन लेखापरीक्षा शामिल है। अनुपालन लेखापरीक्षा एक स्वंतत्र मूल्यांकन है कि क्या दी गई विषय वस्तु (गतिविधि, वित्तीय एवं गैर वित्तीय लेन–देन, किसी इकाई अथवा इकाइयों के समूह के संबंध में जानकारी) सभी भौतिक मामलों में लागू कानूनों, नियमों, विनियमों, स्थापित संहिताओं इत्यादि एवं सुदृढ़ लोक वित्तीय प्रबंधन के सामान्य सिद्धांतो एवं लोक अधिकारियों के आचरण का सभी तरह से अनुपालन करता है।

भाग–दो की लेखापरीक्षा आपत्तियां संबंधित शासकीय विभागों द्वारा उपलब्ध कराये गये अभिलेखों के नमूना जाँच परिणामों पर आधारित है। इन विभागों की अन्य इकाइयां जो नमूना जाँच में सम्मिलित नहीं थी, में भी समान अनियमितताएं, त्रुटियां/चूक हो सकती है। अतः विभागों को सभी इकाइयों का परीक्षण करना चाहिए जिससे सुनिश्चित हो कि कर का आंकलन, निर्धारण, संग्रहण एवं लेखाबद्ध किया जाना अधिनियमों एवं नियमों के प्रावधानों के अनुसार किया जा रहा है।

4.2 राजस्व प्राप्तियों की प्रवृत्ति

छत्तीसगढ़ शासन द्वारा संग्रहित राजस्व (कर तथा कर–भिन्न राजस्व, राज्य को दिये गये विभाज्य संघीय करों एवं शुल्कों में राज्य के हिस्से का निवल आगम, वर्ष 2017–18 से 2021–22 तक पिछले पाँच वर्षों के दौरान भारत सरकार से प्राप्त सहायता अनुदान) और पूर्ववर्ती तीन वर्षों हेतु छत्तीसगढ़ शासन से संबंधित आंकड़ों) का संक्षिप्त विवरण ***तालिका 4.1*** में वर्णित हैः

तालिका 4.1: राजस्व प्राप्तियों की प्रवृत्ति

(₹ करोड़ में)

स. क्र.	विवरण	2017–18	2018–19	2019–20	2020–21	2021–22
1.	राज्य शासन द्वारा संग्रहित राजस्व					
	स्वकर राजस्व	19,894.68	21,427.26	22,117.85	22,889.20	27,083.73
	विगत वर्ष की तुलना में वृद्धि का प्रतिशत	**5.01**	**7.70**	**3.22**	**3.49**	**18.33**
	कर–भिन्न राजस्व	6,340.42	7,703.02	7,933.77	7,136.95	13,851.21
	विगत वर्ष की तुलना में वृद्धि का प्रतिशत	**11.84**	**21.49**	**3.00**	**–10.04**	**94.08**
	योग	**26,235.10**	**29,130.28**	**30,051.62**	**30,026.15**	**40,934.93**
2.	भारत सरकार से प्राप्तियाँ					
	विभाज्य संघीय करों एवं शुल्कों में राज्य के हिस्सा	20,754.81	23,458.69	20,205.84	20,337.54	28,570.79
	सहायता अनुदान	12,657.17	12,505.96	13,611.24	12,812.49	10,146.30
	योग	**33,411.98**	**35,964.65**	**33,817.08**	**33,150.03**	**38,717.09**
3.	राज्य की कुल राजस्व प्राप्तियाँ (1 + 2)	**59,647.08**	**65,094.93**	**63,868.70**	**63,176.18**	**79,652.03**
4.	1 का 3 से प्रतिशत	**44**	**45**	**47**	**48**	**51**

(स्त्रोतः छत्तीसगढ़ शासन के वित्त लेखे)

संसाधनों के संग्रहण में राज्य के प्रदर्शन का आंकलन वित्त आयोग के अनुशंसा पर आधारित राज्य के हिस्से का केन्द्रीय कर एवं सहायता अनुदान को छोड़कर कर राजस्व एवं कर–भिन्न राजस्व के आधार पर किया जाता है।

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है किः

➢ राज्य के स्वकर राजस्व में वर्ष 2017–22 के दौरान वृद्धि की प्रवृत्ति देखी गई और पिछले वर्ष की तुलना में वर्ष 2021–22 के दौरान 18.33 प्रतिशत की वृद्धि हुई।

➢ वर्ष 2017–20 के दौरान राज्य के कर–भिन्न राजस्व में भी वृद्धि हुई थी परंतु पिछले वर्ष की तुलना में वर्ष 2020–21 के दौरान 10.04 प्रतिशत की कमी मुख्य रूप से अलौह खनन एवं धातुकर्म उद्योगों, ब्याज प्राप्तियों, लघु सिंचाई, लोक निर्माण आदि के अंतर्गत प्राप्तियों में कमी के कारण हुई। जबकि, वर्ष 2021–22 के दौरान पिछले वर्ष की तुलना में 94.08 प्रतिशत की वृद्धि हुई, जिसका मुख्य कारण लौह अयस्क के विक्रय मूल्य में वृद्धि और खान एवं खनिज विकास एवं विनियमन अधिनियम 2021 के अनुसार एनएमडीसी द्वारा लौह अयस्क पर देय रॉयल्टी की अतिरिक्त राशि (150 प्रतिशत) है।

➢ जबकि वर्ष 2021–22 के दौरान राजस्व प्राप्तियों का 51 प्रतिशत राज्य के अपने संसाधनों से आया, जिसमें कर और गैर–कर राजस्व शामिल हैं, विभाज्य केंद्रीय करों और शुल्कों की शुद्ध आय और भारत सरकार से सहायता अनुदान ने मिलकर कुल राजस्व में 49 प्रतिशत का योगदान दिया।

वर्ष 2021–22 के लिए राज्य के राजस्व प्राप्तियों के विभिन्न घटकों का चित्रांकन ***चार्ट 4.1*** में दर्शाया गया हैः

चार्ट 4.1: वर्ष 2021–22 के राज्य के राजस्व का विच्छेद

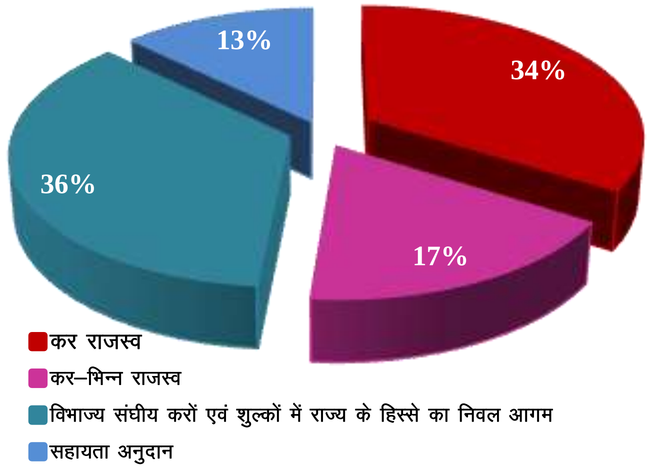

4.2.1 स्वकर राजस्व

वर्ष 2021–22 के लिए कर राजस्व के विभिन्न घटकों का चित्रांकन ***चार्ट 4.2*** में दर्शाया गया है:

चार्ट 4.2: वर्ष 2021–22 के कर राजस्व का विच्छेद (₹ करोड़ में)

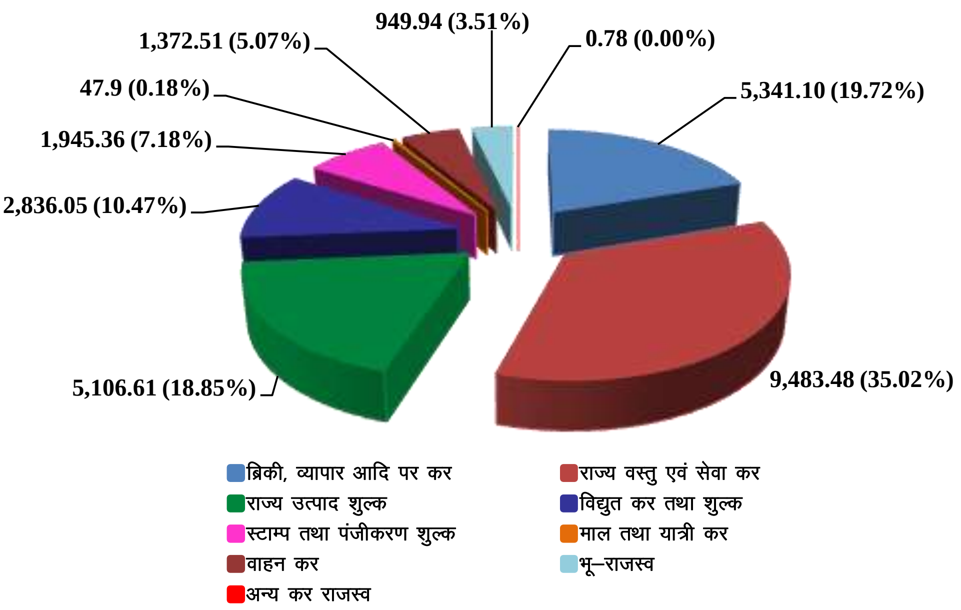

वर्ष 2017–22 की अवधि के दौरान स्वकर राजस्व का बजट अनुमान एवं वास्तविक प्राप्तियाँ ***तालिका 4.2*** में दर्शाया गया है:

तालिका 4.2: शासन द्वारा संग्रहित स्वकर राजस्व का विवरण

(₹ करोड़ में)

राजस्व शीर्ष		2017–18	2018–19	2019–20	2020–21	2021–22	वर्ष 2020–21 की तुलना में वर्ष 2021–22 में अंतर का प्रतिशत
बिक्री, व्यापार आदि पर कर	**बजट अनुमान**	13,444.70	3,718.42	3,788.30	4,144.86	4,356.89	
	वास्तविक	6,449.60	4,087.72	3,931.37	4,236.04	5,341.10	(+) 26.09
राज्य वस्तु एवं सेवा कर[1]	**बजट अनुमान**	3,212.82	5,006.65	8,201.70	10,700.92	9,337.61	
	वास्तविक	4,386.56	8,203.41	7,894.82	7,925.01	9,483.48	(+) 19.67
राज्य उत्पाद शुल्क	**बजट अनुमान**	3,168.50	4,355.00	5,000.00	5,199.72	5,500.00	
	वास्तविक	4,054.01	4,489.03	4,952.36	4,635.80	5,106.61	(+) 10.16
विद्युत कर तथा शुल्क	**बजट अनुमान**	1,650.00	1,850.00	2,090.00	2,200.00	2,450.00	
	वास्तविक	1,688.95	1,790.27	1,837.00	2,341.41	2,836.05	(+) 21.13
स्टाम्प तथा पंजीकरण शुल्क	**बजट अनुमान**	1,550.00	1,790.00	1,550.00	1,705.00	1,650.00	(+) 22.74
	वास्तविक	1,197.47	1,108.46	1,634.63	1,584.94	1,945.36	
वस्तु तथा यात्री कर[2]	**बजट अनुमान**	1,767.06	5.63	0.00	3.00	4.17	(–) 40.00
	वास्तविक	477.66	54.51	40.51	79.83	47.90	
वाहन कर	**बजट अनुमान**	1,200.00	1,500.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	(+) 19.55
	वास्तविक	1,180.01	1,204.85	1,274.85	1,148.07	1,372.51	
भू–राजस्व	**बजट अनुमान**	600.00	660.00	700.00	600.00	850.00	(+) 1.30
	वास्तविक	446.41	487.57	551.50	937.71	949.94	
अन्य कर राजस्व[3]	**बजट अनुमान**	40.38	0.00	0.00	1.50	1.34	(+) 100
	वास्तविक	14.01	1.44	0.81	0.39	0.78	
योग	**बजट अनुमान**	**26,633.46**	**18,885.70**	**22,930.00**	**26,155.00**	**25,750.01**	(+) 18.33
	वास्तविक	**19,894.68**	**21,427.26**	**22,117.85**	**22,889.20**	**27,083.73**	

(स्त्रोतः छत्तीसगढ़ शासन के वित्त लेखे और छत्तीसगढ़ शासन की बजट पुस्तिका के अनुसार बजट अनुमान)

बिक्री, व्यापार आदि पर कर के अंतर्गत वर्ष 2017–18 के दौरान प्राप्तियां, राज्य सरकार द्वारा अपने बजट में दर्शाई गई अपेक्षाओं के अनुरूप नहीं थी परंतु वर्ष 2018–19 से 2021–22 के दौरान बजटीय अनुमानों से अधिक थी। राज्य वस्तु एवं सेवा कर (एसजीएसटी) के तहत प्राप्तियां वर्ष 2019–21 के दौरान अपने बजटीय अनुमानों में दर्शायी गई अपेक्षाओं के अनुरूप नहीं थी लेकिन वर्ष 2017–19 और 2021–22 बजटीय अनुमानों से अधिक थी और वर्ष 2018–22 के दौरान राज्य के लिए राजस्व का सबसे

---

[1] वस्तु एवं सेवा कर 1 जुलाई 2017 से लागू किया गया। केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर जैसे केंद्रीय उत्पाद शुल्क, अतिरिक्त उत्पाद शुल्क, औषधीय और प्रसाधन सामग्री अधिनियम के तहत लगाए गए उत्पाद शुल्क, सेवा कर, अतिरिक्त सीमा शुल्क (सीवीडी), विशेष अतिरिक्त सीमा शुल्क (एसएडी), राज्य अप्रत्यक्ष कर जैसे मूल्य वर्धित कर, केंद्रीय बिक्री कर, प्रवेश कर, मनोरंजन कर और खरीद कर को जीएसटी में शामिल कर लिया गया है।

[2] वर्ष 2021–22 की अवधि के दौरान माल और यात्रियों पर कर का बड़ा हिस्सा (76.64 प्रतिशत) प्रवेश कर से है, जिसे 1 जुलाई 2017 से समाप्त कर दिया गया है और जीएसटी में शामिल कर लिया गया है।

[3] 'अन्य' में वर्ष 2021–22 के दौरान निम्नलिखित राजस्व मदों में वास्तविक प्राप्तियाँ सम्मिलित हैः होटल प्राप्ति कर (₹ 33.96 लाख/बजट प्रावधान – ₹ 119.20 लाख); आय और व्यय पर अन्य कर (₹ 43.70 लाख/बजट प्रावधान – ₹ 14.00 लाख) और वस्तुओं और अन्य सेवाओं पर अन्य कर एवं शुल्क (₹ 0.32 लाख/बजट प्रावधान – ₹ 0.50 लाख)।

बड़ा स्त्रोत बन गई थी। वर्ष 2018–22 के दौरान माल और यात्रियों पर कर बजटीय अनुमानों से अधिक था, जबकि वाहनों पर कर वर्ष 2017–22 के दौरान अनुमानित अपेक्षाओं के अनुरूप नही था।

संबंधित विभागों द्वारा वर्ष 2021–22 के दौरान बजट अनुमान एवं वास्तविक राजस्व प्राप्तियों में अंतर एवं कुछ मामलों मे पूर्व वर्ष से प्राप्ति में कमी के निम्नलिखित कारण सूचित किये गये।

बिक्री, व्यापार आदि पर कर: पेट्रोलियम उत्पाद की खपत में वृद्धि के कारण वर्ष 2020–21 की तुलना में वर्ष 2021–22 के दौरान बिक्री, व्यापार आदि पर करों से प्राप्तियां (26.09 प्रतिशत) बढ़ी।

राज्य वस्तु एवं सेवा कर: वर्ष 2021–22 के दौरान एसजीएसटी से प्राप्तियां वर्ष 2020–21 की तुलना में 19.67 प्रतिशत बढ़ीं, जिसका मुख्य कारण करदाताओं की संख्या में वृद्धि थी।

राज्य उत्पाद शुल्क: छत्तीसगढ़ राज्य विपणन निगम लिमिटेड द्वारा अवैध शराब पर नियंत्रण और शराब दुकानों के कुशल प्रबंधन के कारण राज्य आबकारी से प्राप्त राजस्व में 10.16 प्रतिशत की वृद्धि हुई।

विद्युत कर तथा शुल्क: राजस्व संग्रह में वृद्धि के कारण वर्ष 2021–22 में कर राजस्व में पिछले वर्ष की तुलना में 21.13 प्रतिशत की वृद्धि हुई।

वाहनों पर कर: विभाग द्वारा वर्ष 2021–22 के दौरान राजस्व में 19.55 प्रतिशत की वृद्धि का कोई कारण नहीं बताया गया।

माल तथा यात्री कर: वर्ष 2021–22 में 40 प्रतिशत की कमी आई। जीएसटी में माल और यात्रियों पर करों को एकीकृत करने के कारण राजस्व में कमी आई।

स्टाम्प तथा पंजीकरण शुल्क: पिछले वर्ष 2020–21 की तुलना में पंजीकृत दस्तावेजों की संख्या में वृद्धि के कारण वर्ष 2021–22 में कर राजस्व में 22.74 प्रतिशत की वृद्धि हुई।

4.2.2 कर–भिन्न राजस्व

वर्ष 2021–22 के कर–भिन्न राजस्व का विच्छेद ***चार्ट 4.3*** में दर्शाया गया है।

चार्ट 4.3 वर्ष 2021–22 के कर–भिन्न राजस्व का विच्छेद (₹ करोड़ में)

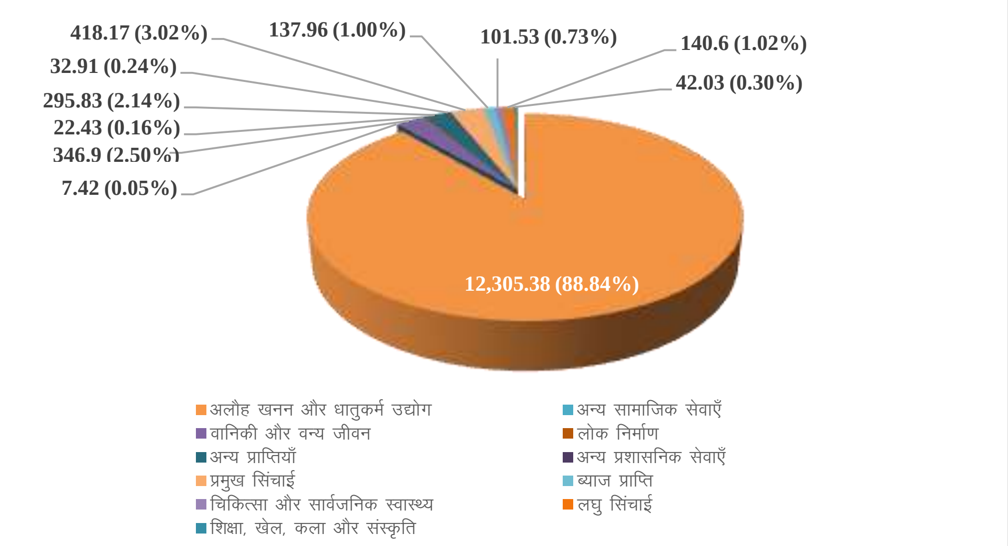

वर्ष 2017–22 की अवधि के दौरान उद्ग्रहित कर–भिन्न राजस्व का विवरण ***तालिका 4.3*** में दर्शाया गया है:

तालिका 4.3: शासन द्वारा उद्ग्रहित कर–भिन्न राजस्व का विवरण

(₹ करोड़ में)

राजस्व शीर्ष		2017–18	2018–19	2019–20	2020–21	2021–22	वर्ष 2020–21 की तुलना में वर्ष 2021–22 में अन्तर का प्रतिशत
अलौह खनन तथा धातुकर्म उद्योग	**बजट अनुमान**	5,600.00	6,000.00	6,500.00	6,670.00	6,600.00	(+) 122.18
	वास्तविक	4,911.44	6,110.24	6.195.73	5,538.49	12,305.39	
वानिकी तथा वन्य जीव	**बजट अनुमान**	600.00	600.00	600.00	700.00	700.00	(+) 25.20
	वास्तविक	291.17	236.73	249.37	277.08	346.90	
ब्याज प्राप्तियाँ	**बजट अनुमान**	137.25	132.93	126.83	194.49	314.83	(+) 53.68
	वास्तविक	180.44	189.55	232.41	89.77	137.96	
वृहद सिंचाई	**बजट अनुमान**	703.68	738.89	791.67	749.94	688.08	(–) 6.22
	वास्तविक	461.23	521.81	437.04	445.91	418.17	
लघु सिंचाई	**बजट अनुमान**	288.34	302.76	324.39	330.42	317.26	(–) 39.58
	वास्तविक	121.73	164.06	287.54	232.72	140.60	
चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य	**बजट अनुमान**	29.33	45.99	44.73	62.10	91.12	(+) 6.04
	वास्तविक	52.56	52.86	88.88	95.75	101.53	
लोक निर्माण कार्य	**बजट अनुमान**	73.70	43.00	50.00	95.83	54.25	(–) 30.41
	वास्तविक	54.29	73.57	45.98	32.23	22.43	
अन्य प्रशासनिक सेवायें	**बजट अनुमान**	65.43	42.82	28.41	47.34	44.12	(–) 7.74
	वास्तविक	39.81	42.10	35.75	35.67	32.91	
अन्य सामाजिक सेवायें	**बजट अनुमान**	30.00	30.00	20.50	11.01	12.69	(–) 53.68
	वास्तविक	17.42	8.12	16.73	16.02	7.42	
शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति	**बजट अनुमान**	6.97	28.03	21.20	16.09	22.78	(+) 125.60
	वास्तविक	17.15	14.04	14.83	18.63	42.03	
अन्य कर–भिन्न प्राप्तियाँ	**बजट अनुमान**	169.50	205.58	317.27	337.38	404.82	(–) 16.59
	वास्तविक	193.18	289.94	329.51	354.68	295.83[4]	
योग	**बजट अनुमान**	**7,704.20**	**8,170.00**	**8,825.00**	**9,214.60**	**9,249.95**	(+) 94.08
	वास्तविक	**6,340.42**	**7,703.02**	**7,933.77**	**7,136.95**	**13,851.17**	

(स्त्रोत: छत्तीसगढ़ शासन के वित्त लेखे और छत्तीसगढ़ शासन की बजट पुस्तिका के अनुसार बजट अनुमान)

[4] अन्य कर–भिन्न प्राप्तियों में वर्ष 2021–22 में निम्न मदों में वास्तविक प्राप्तियाँ सम्मिलित है: लाभांश तथा लाभ (₹ 3.64 करोड़); लोक सेवा आयोग (₹ 9.71 करोड़); पुलिस (₹ 29.19 करोड़); जेल (₹ 3.42 करोड़); लेखन सामग्री तथा मुद्रण (₹ 2.17 करोड़); पेंशन तथा अन्य सेवा निवृत्ति लाभों के संबंध में अंशदान और वसूली (₹ 33.38 करोड़); विविध सामान्य सेवायें (₹ 76.08 करोड़); परिवार कल्याण (₹ 0.00 करोड़); जल पूर्ति तथा सफाई (₹ 2.07 करोड़); आवास (₹ 4.99 करोड़); नगर विकास (₹ 8.75 करोड़); सूचना एवं प्रचार (₹ 0.07 करोड़); श्रम तथा रोजगार (₹ 27.71 करोड़); सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण (₹ 5.72 करोड़); फसल कृषि (₹ 23.12 करोड़); पशुपालन (₹ 6.51 करोड़); मछली पालन (₹ 5.91 करोड़); खाद्य भंडारण तथा गोदाम (₹ 0.92 करोड़); सहकारिता (₹ 1.80 करोड़); अन्य कृषि कार्यक्रम (₹ 1.69 करोड़); अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम (₹ 7.21 करोड); मध्यम सिंचाई (₹ 5.30 करोड़); ग्रामोद्योग तथा लघु उद्योग (₹ 3.24 करोड़); उद्योग (₹ 17.90 करोड़); नगर विमानन (₹ 0.00 करोड़); सड़क तथा पुल (₹ 0.94 करोड़) एवं अन्य सामान्य आर्थिक सेवायें (₹ 14.39 करोड़)।

संबंधित विभागों द्वारा वर्ष 2021–22 के दौरान बजट अनुमान एवं वास्तविक राजस्व प्राप्तियों में अंतर एवं कुछ मामलों में पूर्व वर्ष से प्राप्ति में कमी के निम्नलिखित कारण सूचित किये गये।

अलौह खनन तथा धातुकर्म उद्योगः पिछले वर्ष की तुलना में 122.18 प्रतिशत की वृद्धि हुई, जिसका मुख्य कारण लौह अयस्क के विक्रय मूल्य में वृद्धि और खान एवं खनिज विकास एवं विनियमन अधिनियम 2021 के अनुसार एनएमडीसी द्वारा लौह अयस्क पर देय रॉयल्टी की अतिरिक्त राशि (150 प्रतिशत) है।

वानिकी तथा वन्य जीवः पिछले वर्ष की तुलना में वर्ष 2021–22 में प्राप्तियों में 25.20 प्रतिशत की वृद्धि हुई, जिसका मुख्य कारण पूर्व निर्धारित तिथियों पर लकड़ी की नीलामी आयोजित करके वन उपज को समय पर जारी करना था।

लघु सिंचाईः वर्ष 2021–22 में इस मद में प्राप्तियां 39.58 प्रतिशत घटी हैं। विभाग से प्राप्ति में कमी का कारण पूछा गया (दिसंबर 2022, अगस्त 2023 और फरवरी 2024)। हालांकि, उत्तर अभी भी प्रतीक्षित है।

वृहद सिंचाईः वर्ष 2021–22 में इस मद में प्राप्तियां 6.22 प्रतिशत घटी हैं। विभाग से प्राप्ति में कमी का कारण पूछा गया (दिसंबर 2022, अगस्त 2023 और फरवरी 2024)। हालांकि, उत्तर अभी भी प्रतीक्षित है (दिसंबर 2024)।

लोक निर्माणः वर्ष 2021–22 में इस मद के अंतर्गत प्राप्तियों में 30.41 प्रतिशत की कमी आयी, जिसका मुख्य कारण बोलीदाताओं द्वारा निविदा प्रपत्रों की कम खरीद और चूककर्ताओं पर कम जुर्माना लगाया जाना था।

शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृतिः इस मद में वर्ष 2021–22 के दौरान पिछले वर्ष की तुलना में राजस्व में 125.60 प्रतिशत की वृद्धि हुई। इसका कारण यह था कि समग्र शिक्षा के तहत छात्रवृत्ति वितरित नहीं की जा सकी और विभाग के प्राप्ति मद में जमा कर दी गयी।

अन्य कर–भिन्न प्राप्तियाँः वर्ष 2021–22 में कर–भिन्न प्राप्तियों में 16.59 प्रतिशत की कमी आयी, जिसका मुख्य कारण जेल, पेंशन और अन्य सेवानिवृत्ति लाभों के लिए योगदान और वसूली, जल आपूर्ति और स्वच्छता, शहरी विकास, सामाजिक सुरक्षा और कल्याण, फसल पालन, पशुपालन, खाद्य भंडारण और भंडारण, सहकारिता, अन्य कृषि कार्यक्रम और अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम मद के तहत राजस्व में कमी थी।

4.3 लेखापरीक्षा प्राधिकार

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (सीएजी) के लेखापरीक्षा प्राधिकार भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 से 151 एवं नियंत्रक महालेखापरीक्षक (कर्त्तव्य, शक्तियाँ एवं सेवा शर्तें) अधिनियम, 1971 (डीपीसी अधिनियम) से व्युत्पन्न होते हैं। नियंत्रक महालेखापरीक्षक सरकार की प्राप्तियों को डीपीसी अधिनियम की धारा 16 के अंतर्गत लेखापरीक्षा करते हैं।

4.4 लेखापरीक्षा की योजना एवं संचालन

इस रिपोर्ट के अध्याय–1 में लेखापरीक्षा की योजना बनाने, उसका संचालन करने और लेखापरीक्षा रिपोर्ट तैयार करने की प्रक्रिया का उल्लेख पहले ही किया जा चुका है। प्रत्येक ईकाई की लेखापरीक्षा पूर्ण होने पर इकाई के प्रमुख को लेखापरीक्षा टिप्पणियाँ सम्मिलित करते हुए निरीक्षण प्रतिवेदन एक माह के भीतर उत्तर प्रस्तुत करने हेतु निवेदन कर जारी किया जाता है। इन निरीक्षण प्रतिवेदनों में इंगित महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा टिप्पणियाँ जिसे शासन के उच्चतम स्तर पर ध्यान आकृष्ट करने की आवश्यकता हो, लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में शामिल करने के लिए कार्रवाई की जाती है।

इन लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों को विधान सभा के पटल पर रखे जाने हेतु भारत के संविधान के अनुच्छेद 151 के अंतर्गत छत्तीसगढ़ के राज्यपाल को प्रस्तुत किया जाता है।

वर्ष 2021–22 के दौरान छः विभागों यथा खनिज संसाधन, वन, वाणिज्यिक कर, ऊर्जा, परिवहन एवं भू–राजस्व के अन्तर्गत कुल 472 लेखापरीक्षा योग्य इकाईयों में से 80 इकाईयों की लेखापरीक्षा की योजना बनाई गई तथा 59 इकाईयों की लेखापरीक्षा की गई।

4.5 बकाया राजस्व का विश्लेषण

31 मार्च 2022 की स्थिति में छः विभागों का बकाया राजस्व ₹ 8261.66 करोड़ था, जिसमें से ₹ 3218.06 करोड़ (38.95 प्रतिशत) पाँच वर्षों से अधिक समय से बकाया था, जैसा कि ***तालिका 4.4*** में वर्णन किया गया है:

तालिका 4.4: 31 मार्च 2022 की स्थिति में बकाया राजस्व

(₹ करोड़ में)

स. क्र.	राजस्व शीर्ष	कुल बकाया राशि	पाँच वर्ष से अधिक समय से बकाया राशि	बकाया प्रकरणों की वस्तु–स्थिति के संबंध में विभाग का उत्तर
1.	विद्युत कर तथा शुल्क	4734.16	1289.67	15 मामलों मे राजस्व वसूली प्रमाणपत्र (आरआरसी) जारी, सात प्रकरण न्यायालय में लंबित, 32 प्रकरण में न्यायालय द्वारा स्थगन आदेश तथा 14 प्रकरण 'अन्य' में लंबित।
2.	बिक्री, व्यापार आदि पर कर	3400.02	1846.20	फर्मों द्वारा अपना व्यवसाय बंद कर देने, व्यवसायियों की चल–अचल सम्पत्ति का अभाव तथा अपलेखन की जाने वाली राशि वसूली हेतु लंबित होने के कारण अन्य राज्यों को आरआरसी जारी की गई है।
3.	स्टाम्प तथा पंजीकरण शुल्क	50.21	15.91	736 मामलों में आरआरसी जारी; 91 मामले अदालत में लंबित 9 प्रकरणों में न्यायालय द्वारा स्थगन आदेश तथा चार प्रकरणों में दोषियों की चल/अचल संपत्तियों का विवरण उपलब्ध नहीं है।
4.	वन	7.03	6.93	लंबित मामलों की स्थिति के संदर्भ में विभाग द्वारा कोई विशिष्ट उत्तर नहीं दिया गया है।
5.	अलौह खनन तथा धातुकर्म उद्योग	0.79	0.79	विभाग ने बताया (फरवरी 2023) कि खनिज अधिकारियों को विशेष अभियान चलाकर बकाया राशि वसूलने के निर्देश दिए गए हैं। इसके अलावा, समीक्षा बैठक में सचिव, खनिज संसाधन विभाग, छत्तीसगढ़ शासन ने जिलों को निर्देश दिए हैं कि वे बहुत पुराने बकाया को अपलेखन करने के लिए प्रस्ताव भेजें।
6.	वाहन कर	12.99	3.27	न्यायालय में लंबित (₹ 0.84 करोड़) बकाया कर की वसूली के लिए वाहन मालिकों को डिमांड नोटिस जारी किए गए हैं।
7.	राज्य उत्पाद शुल्क	56.46	55.29	149 मामलों में राजस्व वसूली प्रमाण पत्र (आरआरसी) जारी किए गए 23 मामले अदालत में लंबित हैं, 23 मामलों में अदालत द्वारा स्थगन आदेश दिया गया है और 16 मामले अन्य के तहत लंबित हैं और 38 मामलों में चूककर्ताओं की चल/अचल संपत्तियों का विवरण उपलब्ध नहीं है।
	योग	**8261.66**	**3218.06**	

(स्त्रोतः संबंधित विभागों द्वारा प्रदायित जानकारी)

दो विभागों अर्थात् भू–राजस्व एवं जल संसाधन विभाग से 31 मार्च 2022 तक बकाया राजस्व की जानकारी प्रतीक्षित थी।

4.6 लेखापरीक्षा के प्रति शासन/विभागों की प्रतिक्रिया

4.6.1 बकाया निरीक्षण प्रतिवेदनों की स्थिति

शासकीय विभागों एवं कार्यालयों के लेखापरीक्षा समाप्ति उपरांत संबंधित कार्यालय प्रमुखों को निरीक्षण प्रतिवेदन जारी किया जाता है तथा उसकी प्रति संबंधित विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों को प्रेषित की जाती है, ताकि उस पर सुधारात्मक कार्यवाही एवं निगरानी की जा सके। गंभीर वित्तीय अनियमिततायें विभाग के प्रमुख और शासन को प्रतिवेदित की जाती हैं।

31 मार्च 2022 तक कि स्थिति में जारी निरीक्षण प्रतिवेदनों के विश्लेषण में पाया गया कि वर्ष 1994–95 से 2021–22 के दौरान जारी 2,225 निरीक्षण प्रतिवेदनों की 9,790 कंडिकाएँ जून 2023 के अंत तक बकाया थे। विभागवार लंबित निरीक्षण प्रतिवेदनों एवं लेखापरीक्षा टिप्पणियों का विवरण नीचे ***तालिका 4.5*** में वर्णित है:

तालिका 4.5: विभागवार लंबित निरीक्षण प्रतिवेदनों की स्थिति

स. क्र.	विभाग का नाम	राजस्व की प्रकृति	निरीक्षण प्रतिवेदन का प्रकार	बकाया निरीक्षण प्रतिवेदन वर्ष 2021–22 की संख्या	बकाया लेखापरीक्षा टिप्पणियों की संख्या वर्ष 2021–22
1.	स्टाम्प एवं पंजीकरण भुल्क	स्टाम्प तथा पंजीकरण शुल्क	राजस्व	255	762
			व्यय	13	58
2.	मोटर वाहन तथा परिवहन	वाहन कर	राजस्व	198	1464
			व्यय	66	145
3.	वन	वानिकी तथा वन्य प्राणी	राजस्व	457	1385
			व्यय	531	2856
4.	वाणिज्यिक कर	बिक्री, व्यापार आदि पर कर	राजस्व	551	3670
			व्यय	80	117
5.	खनन स्त्रोत	अलौह खनन तथा धातुकर्म उद्योग	राजस्व	184	785
			व्यय	76	321
6.	आबकारी	राज्य उत्पाद	राजस्व	269	583
			व्यय	51	88
7.	भू–राजस्व	भू–राजस्व	राजस्व	2	8
			व्यय	2	4
8.	ऊर्जा	विद्युत कर तथा शुल्क	राजस्व	21	91
			व्यय	8	20
9.	अन्य कर विभाग	अन्य प्राप्तियाँ	राजस्व	288	1042
			व्यय	1	10
राजस्व				**2225**	**9790**
व्यय				**828**	**3619**
योग				**3053**	**13409**

वर्ष 2021–22 के दौरान जारी किये गये 108 निरीक्षण प्रतिवेदनों में से 96[5] निरीक्षण प्रतिवेदनों (88.88 प्रतिशत) के प्रथम उत्तर भी लेखापरीक्षा को कार्यालय प्रमुख से प्राप्त नहीं हुए हैं।

निरीक्षण प्रतिवेदन एवं लेखापरीक्षा कंडिकाओं में कार्यवाही की कमी इन प्रतिवेदनों में इंगित किये गये गंभीर वित्तीय अनियमितताओं को निरंतर किए जाने के जोखिम से

[5] वन–68, खनिज संसाधन–11, परिवहन–6, वाणिज्य कर–4, ऊर्जा–3, स्टाम्प एवं पंजीयन–2 तथा भू–राजस्व–2

युक्त है। इससे शासन प्रक्रिया के आंतरिक नियंत्रणों में कमी, सार्वजनिक वस्तुओं/सेवाओं का अकुशल एवं अप्रभावी वितरण, धोखा, भ्रष्टाचार एवं सरकारी खजाने को हानि की संभावना है।

अनुशंसाः

राज्य शासन लेखापरीक्षा टिप्पणियों पर त्वरित एवं उचित कार्यवाही सुनिश्चित करें तथा जो निरीक्षण प्रतिवेदन/कंडिकाएँ पर उत्तर निर्धारित समय में प्रस्तुत करने में विफल रहते हैं, उनके विरूद्ध कार्रवाई करें।